उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(Govt of Uttar Pradesh Undertaking)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN:U32201UP1999SGC024928
UPPCL
Uttar Pradesh Power Corporation Limited

सं0-I/8479/2025-अरा-09(अ)/पाकालि/2025, दिनांक09-04-2025

कार्यालय ज्ञाप

श्री राजकुमार, अवर अभियन्ता (सैप आई0डी0 11006380),33/11 के0वी0 उपकेन्द्र-लहरापुर, वि0वि0खं0- दिबियापुर,दक्षिणांचल वि0 वि0 नि0 लि0 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विद्युत अनुरक्षण प्रकोष्ठ के अन्तर्गत टैक्नोलॉजिस्ट के पद पर मुरादाबाद मण्डल में, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि अथवा इससे पूर्व प्रत्यावहन कर लिये जाने के प्रतिबन्धाधीन प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हेतु एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यदि उक्त अवर अभियन्ता द्वारा प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होते ही उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता तो यह माना जाएगा कि वे उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में आने के इच्छुक नहीं हैं तथा इस आधार पर उनका उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में धारणाधिकार (Lien) समाप्त कर दिया जाएगा तथा उनका Deemed Resignation समझा जाएगा।

उक्त अवर अभियन्ता की टैक्नोलॉजिस्ट के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें संलग्न हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

अध्यक्ष

सं0-I/8479/2025-(i)अरा-09(अ)/पाकालि/2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: प्रमुख सचिव, चिकित्सा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उनके पत्र सं0-I/821238/2024, दिनांक 23.12.2024 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,

09.4.2025

चन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव (अरा 09अ)

सं0-I/8479/2025-(ii)अरा-09(अ)/पाकालि/2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक (पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल), विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/आगरा/मेरठ/लखनऊ।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

5. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा/सी0पी0एफ0/जी0पी0एफ0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0खं0-दिबियापुर, द0वि0वि0नि0लि0। (xen.dibiyapur@dvvnl.org)
10. श्री राजकुमार, अवर अभियन्ता (सैपआई0डी0 11006380), 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र-लहरापुर, वि0वि0खं0- दिबियापुर,द0वि0वि0नि0लि0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे मुरादाबाद मण्डल में कार्यभार प्रमाणक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को कार्यभार ग्रहण करने के 03 कार्यदिवसों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

09.4.2025

चन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव (अरा 09अ)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
(Shakti Bhawan, Lucknow)

प्रतिनियुक्ति की निबंधन एवं शर्ते

(1) संस्थान में सेवा की अवधि :– यह प्रथमतः एक वर्ष के लिये होगी जो कारपोरेशन में उनके द्वारा कार्यभार से मुक्त किये जाने के दिनांक से प्रारम्भ होकर उनके प्रत्याहवान किये जाने पर कारपोरेशन में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक मानी जायेगी।

(2) वेतन :– बाह्य सेवा की अवधि में प्रतिनियुक्त अधिकारी को विकल्प होगा कि वे या तो बाह्य सेवा पद के वेतनमान मे सामान्य नियमों के अधीन अपना वेतन निर्धारित करा ले या कारपोरेशन वेतनमान में अपनें वेतन के सहित वेतन का 5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम रू0 500/– प्रतिमाह तथा यदि तैनाती स्टेशन के बाहर बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति होता है तो वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु अधिकतम रू0 1000/– प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता इस शर्त के अधीन है कि मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता की कुल धनराशि का योग किसी भी समय रू0 22000/– प्रतिमाह से अधिक नही होगा। मूल वेतन का तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड–2, भाग 2–4 के मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित है।

(3) मंहगाई भत्ता :– यह भत्ता कारपोरेशन के पुनरीक्षित वेतनभान में वेतन लिये जाने की अवस्था में कारपोरेशन की स्वीकृत दरों पर अनुमन्य होगा। इसकी गणना मात्र बाह्य सेवा वेतन अथवा कारपोरेशन में ग्राहय मूल वेतन पर की जायेगी, अर्थात प्रतिनियुक्ति भत्ता की आगणित धनराशि पर मंहगाई भत्ता नही अनुमन्य होगा। बाह्य सेवा पद के वेतनमान में वेतन लिये जाने की अवस्था में यह बाह्य सेवायोजक के अधीन अनुमन्य दरों पर मिलेगा।

(4) नगर प्रतिकर तथा मकान किराया भत्ता :– ये भत्ते प्रतिनियुक्ति अधिकारी को उक्त विभाग में विद्यमान नियमों के अधीन अनुमन्य होगे किन्तु यदि वे अपने नियुक्ति स्थान पर कारपोरेशन आवास का उपभोग करेंगे तो उनसे आवास आवंटन की दशा में बाह्य सेवा की अवधि में फ्लैट रेट कारपोरेशन नियमानुसार देय रेन्ट के दोगुनी दर पर किराया (रेन्ट) लिया जायेगा जो वे स्वयं प्रतिमाह जमा करेंगे और इस किराये का आधा वे स्वय वहन करेंगे तथा शेष आधा अपने बाह्य सेवायोजक से प्राप्त करेंगे। इस व्यवस्था के लागू होने के पश्चात् मानक किराया एवं बाजार दर तथा 25 प्रतिशत की दर पर किराये की वसूली की प्रकिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(5) कार्यभार ग्रहण करने का समय और उस अवधि का वेतन :– कार्यभार ग्रहण करने का समय और कार्यभार ग्रहण करने के समय का वेतन, यदि कोई हो, का विनियमन संस्थान की सेवा पर स्थानान्तरण और उससे प्रत्यावर्तन दोनों ही के लिये कारपोरेशन नियमों के अधीन किया जायेगा और इसका भुगतान संस्थान द्वारा ही किया जायेगा।

...2

(6) यात्रा भत्ता :– संस्थान में सेवा की अवधि में उक्त संस्थान के अधीन कार्यभार ग्रहण तथा उससे प्रत्यावर्तन के समय की गयी यात्राओं के लिये यात्रा–भत्ते का विनियमन प्रतिनियुक्ति अधिकारी के विकल्प के अनुसार या तो कारपोरेशन अथवा संस्थान के नियमों के अधीन होगा और इसका भुगतान संस्थान द्वारा ही किया जायेगा।

(7) अवकाश और पेंशन :– बाह्य सेवा की अवधि मे प्रतिनियुक्ति अधिकारी अवकाश और पेंशन सम्बन्धी कारपोरेशन नियमों द्वारा ही नियंत्रित होते रहेंगे। बाह्य सेवा मे अथवा उसके द्वारा हुई विकलॉगता के सम्बन्ध में बाह्य सेवायोजक अवकाश वेतन (न कि अवकाश वेतन अंशदान) के लिये देनदार होगा, चाहें ऐसी विकलॉगता का पता बाह्य सेवा की समाप्ति के बाद ही क्यों न लगे।

(8) अवकाश वेतन एवं पेंशन सम्बन्धी अंशदान :– अवकाश वेतन और पेंशन के लिये अंशदान का भुगतान प्रतिनियुक्त अधिकारी या उक्त संस्थान द्वारा जैसी भी स्थिति हो, का भुगतान वित्तीय नियमावली खण्ड–2, भाग–2 के मूल नियम (फण्डामेंटल रूल्स) 115 एवं 116 के अधीन राज्यपाल, उ0प्र0 द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा। सहायक नियम 185 के अनुसार अब उपरोक्त अंशदानों का भुगतान मासिक न होकर वार्षिक होगा। यदि बाह्य सेवावधि एक वर्ष से कम हो तो इन अंशदानों का भुगतान बाह्य सेवा अवधि की समाप्ति पर तुरन्त किया जायेगा। उपर्युक्त अंशदानों का भुगतान अलग–अलग लेखा शीर्षकों में जमा किया जायेगा। यदि इन अंशदानों का भुगतान विलम्बतम 15 अप्रैल तक नही किया जाता है तो प्रतिनियुक्त अधिकारी अथवा उक्त संस्थान जैसी स्थिति हो, को पूर्वोक्त सहायक नियम 185 मे निर्धारित दर से देय अंशदानों पर ब्याज भी देना पड़ेगा भले ही उप मुख्य लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ने उन अंशदानों के लिये कोई दावा पेश न किया हो। अतः प्रतिनियुक्त अधिकारी अथवा उक्त संस्थान के हित मे ही होगा कि वह इन आदेशों के मिलते ही उप मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, से सम्पर्क स्थापित करें और उनसे इन अंशदान की दरों और उनके भुगतान की विधि के बारे में पूछ लें। यह अंशदान यथास्थिति प्रतिनियुक्त अधिकारी या उक्त संस्थान द्वारा सम्बन्धित उप मुख्य लेखाधिकारी उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को क्रास किये हुये बैंक ड्राफ्ट या चैक द्वारा भेजे जाने चाहिये।

(9) भविष्य निधि :– संस्थान में प्रतिनियुक्त अधिकारी के वेतन से मासिक भविष्य निधि का अभिदान प्रतिमाह काटकर उनके भविष्य निधि खाते/लेखे में जमा करने हेतु कारपोरेशन के लेखाधिकारी (भविष्य निधि) को नियमित रूप से भेजना होगा अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि में प्रतिनियुक्त अधिकारी उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के भविष्य निधि नियमों द्वारा ही नियंत्रित होते रहेंगे।

परिषदीय पत्रांक–2105–यूपीएसईबी–30–13पी/89 दिनांक 2 नवम्बर, 1989 में निहित स्पष्टीकरण के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों के मामले में 'वेतन पुनरीक्षण' के फलस्वरूप देय (यदि कोई हो) अवशेषों पर अनुमन्य ब्याज की राशि प्रतिनियोक्ता (प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले) संगठनों/विभागों से प्राप्त होने पर ही सम्बन्धित अधिकारी को अनुमन्य होगी।

(10) <u>चैकित्सिक सुविधाएँ :–</u> प्रतिनियुक्ति अवधि में प्रतिनियुक्त अधिकारी को उनके चैकित्सिक उपचार के सम्बन्ध में वे सुविधाएँ प्राप्त होती रहेगी जो कारपोरेशन के अधीन उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं से किसी प्रकार कम न हो।

(11) <u>असाधारण पेंशन :–</u> प्रतिनियुक्त अधिकारी अथवा उनके परिवार द्वारा बाह्य सेवा में रहते हुये उनकी विकलाँगता अथवा मृत्यु के संबंध में किया गया कोई दावा उ0प्र0 सिविल सेवाएँ (असाधारण पेंशन) नियमावली यू0पी0 सिविल सर्विसेज (एक्ट्राआर्डिनरी) पेंशन रूल्स के अनुसार निर्णीत किया जायेगा और पंच निर्णय (एवार्ड) के पूरे मूल्य का दायित्व उक्त सस्थान को होगा।

(12) <u>अवकाश तथा अवकाश अवधि में प्रतिकर भत्ता :–</u> संस्थान में प्रतिनियुक्त अधिकारी कारपोरेशन के अवकाश नियमों से ही शासित रहेंगे तथा उन्हे अवकाश व अवकाश नकदीकरण कारपोरेशन नियमों के अर्न्तगत ही अनुमन्य होंगें। संस्थान में सेवा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर लिया गया अवकाश अवधि से संबंधित अवकाश वेतन कारपोरेशन द्वारा देय होगा तथा उस अवधि के महँगाई तथा अन्य प्रतिकर भत्तों का पूरा व्यय संस्थान द्वारा ही वहन किया जायेगा। इस प्रकार के अवकाश वेतन अधिकृत करते समय प्रतिनियुक्ति भत्ता अलग से देय न होगा, वरन संबंधित अधिकारी के अवकाश काल का वेतन परिगणन करते समय उसके मूल वेतन एवं अवकाश के उपभोग की अवधि के पूर्व अनुमन्य प्रतिनियुक्ति भत्ते के योग को ध्यान में रखा जाना होगा। परन्तु संस्थान में सेवा पर रहते हुये मृत्यु या सेवानिवत्ति की दशा में संबंधित कारपोरेशन सेवक के अवकाश खाते में जमा अवकाश के एवज में नियमानुसार अनुमन्य वेतन तथा उस पर देय भत्तों का भुगतान कारपोरेशन द्वारा ही किया जायेगा।।

(13) <u>अन्य वित्तीय सुविधाएँ :–</u> यदि प्रतिनियुक्त अधिकारी को उक्त संस्थान द्वारा उक्त शर्तो के अतिरिक्त कोई अन्य वित्तीय सुविधा/प्रोन्नति दिया जाना प्रस्तावित हो तो कारपोरेशन की स्पष्ट सहमति के बिना अनुज्ञेय न होगी।

(14) <u>संस्थान में सेवा के मध्य त्याग–पत्र, संस्थान के अधीन संविलीन होना तथा स्वैछिक सेवा निवर्तन आदि :–</u> संस्थान में सेवा के मध्य प्रतिनियुक्त अधिकारी को उपरोक्त हेतु अनुमति नहीं होगी।

(15) कारपोरेशन द्वारा पूर्वगनमी तिथि से कोई लाभ अनुमन्य कराने पर प्रतिनियुक्त अवधि का देय धनराशि पर भार बाह्य सेवायोजक द्वारा ही वहन किया जायेगा।

(16) उक्त शर्तो एवं दशाओं के साथ–साथ एतद् विषयक अन्यान्य जो भी कारपोरेशन आदेश समय–समय पर प्रतिनियुक्त के संबंध में निर्गत होंगे, वे प्रतिनियुक्त अधिकारी पर स्वयमेव प्रभावी होते रहेंगे।